



अतिआवश्यक/स्पीडपोस्ट

राजस्थान सरकार,
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,

योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक:- एफ.13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/ 9257


दिनांक:- 28.2.2013

परिपत्र

विषय:- हज यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 8/4/2010-वीएस(सीआर.एस.) दिनांक 8.2.2013 के अनुसार सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में हज यात्रियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट मैन्डेटरी (Mandatory) कर दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। महारजिस्ट्रार कार्यालय ने यह भी अवगत कराया है कि ऐसे हजयात्री जिनका जन्म, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व का है, के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अतः बिना जन्म प्रमाण पत्र के इन हज यात्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तथा इनको अपनी हज यात्रा निरस्त करनी पड़ रही है। अतः हज यात्रियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

राज्य के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम संख्या 9 के प्रावधानों के तहत हज यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाएं ताकि हजयात्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट प्राप्त करने में किसी तरह की समस्या नहीं आवे।



मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।

क्रमांक:- एफ.13/1/12/वीएस/डीईएस/2013/ 9228-776
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 28-2-2013

1. महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव आयोजना (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय 6-बी, झालाना हूंगरी, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला कलक्टर -----
12. उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-----
13. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट ----- को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपने स्तर से पाबन्द करें कि हज यात्रियों को जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करें।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम -----
15. आयुक्त, नगर परिषद -----
16. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका -----
17. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति ----- जिला ----- को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को अपने स्तर से पाबन्द करें कि हज यात्रियों को जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करें।


 मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक,
 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।